न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर 39/2025 | तारीख रजू 9.7.2025 | तारीख निर्णय 29.9.2025

ज्ञानचंद अग्रवाल पुत्र बाबूलाल निवासी मच्छीपुरा तहसील तलावडा ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील तलावडा ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— प्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता नं0 115 ग्राम मच्छीपुरा तहसील तलावडा में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम ज्ञानी पुत्र बाबू दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम ज्ञानचंद अग्रवाल पुत्र बाबूलाल है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम ज्ञानचंद अग्रवाल दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खाता संख्या 115 ग्राम मच्छीपुरा तहसील तलावडा में प्रार्थी का नाम ज्ञानी पुत्र बाबू के स्थान पर ज्ञानचंद अग्रवाल पुत्र बाबूलाल दर्ज करने का कष्ट करें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 115 ग्राम मच्छीपुरा, छायाप्रति पत्र दिनांक 27.2.2025 प्रशासक, ग्राम पंचायत बूचोलाई, फोटोकोपी आधार कार्ड प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार तलावडा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.9.2025 के साथ पटवारी हलका अमरगढ एवं भू—अभिलेख निरीक्षक कुनकटाकलां की रिपोर्ट, मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 18.8.2025, फोटोकोपी जन आधार कार्ड प्रार्थी ज्ञानचन्द अग्रवाल, फोटोकोपी आधार कार्ड ज्ञान चन्द अग्रवाल आदि भिजवाए हैं। अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार तलावडा ने प्रार्थी का नाम ज्ञानचन्द अग्रवाल पुत्र बाबूलाल होना बताया है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम सही करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार तलावडा, मौका पर्चा पटवारी मच्छीपुरा व भू–अभिलेख निरीक्षक कुनकटाकलां, फोटोकोपी आधार कार्ड, जनाधार कार्ड आदि का अवलोकन किया। इन सब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम ज्ञान चन्द अग्रवाल पुत्र बाबूलाल है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मच्छीपुरा की जमाबंदी सं0 2071 से 2074 के खाता संख्या 115 में दर्ज प्रविष्टि "ज्ञानी पुत्र बाबू हिस्सा– 1/18 जाति महाजन सा0 देह खातेदार" के स्थान पर प्रविष्ट " ज्ञान चन्द अग्रवाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/18 जाति महाजन सा0 देह खातेदार" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:06 IST
Reason: SelfAttested